संख्या-532/2022/3828/41-2022-213(सा0)/22 टीसी

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ, दिनांक 25 अक्टूबर, 2022**

विषयः-जनपद मथुरा में अकबरपुर जैंत सिंचाई विभाग की भूमि पर टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेन्टर (टी0एफ0सी0) के निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-3643/6-1-1/ब्र0ती0वि0प0/ (164)/ 2022 दिनांक 23.08.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद मथुरा में अकबरपुर जैंत सिंचाई विभाग की भूमि पर टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेन्टर (टी0एफ0सी0) के निर्माण के सम्बन्ध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2. सिंचाई विभाग की प्रश्नगत भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-19 पर अकबरपुर स्थित सिंचाई विभाग की खसरा संख्या-685 रकबा 2.023 हे0 भूमि, (जिसमें पूर्व में सिंचाई विभाग का निरीक्षण भवन बना हुआ था, जो वर्तमान में निष्प्रयोज्य स्थिति में पड़ा हुआ है) पर टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेन्टर (टी0एफ0सी0) के निर्माण की परियोजना के सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 21.07.2022 को सम्पन्न हुई बैठक में सिंचाई विभाग के प्रस्तावानुसार प्रश्नगत भूमि का कुल मूल्य रू0 34.47 करोड़ आंकलित करते हुए सशुल्क भूमि हस्तानान्तरित किये जाने का निर्णय लिया गया था।

3. विभाग द्वारा यह उल्लेख करते हुए कि ब्रज क्षेत्र में पर्यटन विकास की अपार सम्भावनाओं को मूर्त रूप देने के लिये उ0प्र0 ब्रज तीर्थ विकास परिषद, मथुरा का गठन किया गया है और तत्क्रम में परिषद द्वारा तीर्थ यात्रियों के हित में परियोजनाऐं सम्पादित की जा रही है । चूंकि परिषद् का बजट शासकीय अनुदान पर निर्भर है और इस प्रस्तावित परियोजना की सम्भावित लागत रू0 15.00 करोड़ है, ऐसी दशा में इस परियोजना की भूमि हेतु रू0 34.47 करोड़ की धनराशि व्यय किया जाना व्यावहारिक नहीं है। अतः लोकहित में संदर्भगत निष्प्रयोज्य भूमि /सम्पत्ति का नियोजित तरीके से पर्यटन विकास किये जाने हेतु उ0प्र0 ब्रज तीर्थ विकास परिषद को निःशुल्क हस्तान्तरण किये जाने की आवश्यकता है, मा0 मंत्रि-परिषद के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रकरण में मा0 मंत्रि-परिषद की दिनांक 13.10.2022 को सम्पन्न बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये है:-

''जनपद मथुरा में पर्यटन सुविधा केन्द्र हेतु अकबरपुर जैंत ग्राम चौमुहा के खसरा संख्या-685 रकबा 2.023 हेक्टेयर (सिंचाई विभाग के स्वामित्व) की निष्प्रयोज्य भूमि को उ0प्र0 पर्यटन विभाग को नि:शुल्क प्रदान किया जाये।''

5. उक्त निर्णय के सम्बन्ध में निम्नलिखित शर्तो का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा:-

''प्रस्तावित भूमि के हस्तान्तरण से सम्बन्धित समस्त राजस्व अभिलेखों की पुष्टि मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ब्रज तीर्थ विकास परिषद एवं महानिदेशक पर्यटन के स्तर से करने के उपरान्त ही हस्तान्तरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।''

अतः कृपया तदनुसार प्रकरण में उपर्युक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित कर शासन को तत्काल सूचित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मुकेश कुमार मेश्राम)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2- उपाध्यक्ष, उ0प्र0 ब्रज तीर्थ विकास परिषद, मथुरा।
3- अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0 लखनऊ।
4- अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0।
5- निजी सचिव, मा0 मंत्री, पर्यटन विभाग, उ0प्र0 शासन।
6- **अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव**
वित्त विभाग/न्याय विभाग/राजस्व विभाग/सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
7- आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा।
8- जिलाधिकारी, मथुरा।
9- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ब्रज तीर्थ विकास परिषद, मथुरा।
10- उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ/मथुरा।
11- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(अश्विनी कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in